प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वह हैं जोकि 2015-16 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय देखे गए थे, तथा जो पूर्व वर्षों में देखे गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे, 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को जहाँ कहीं आवश्यक है, भी शामिल किया गया है।

इस लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया है।